XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1587-I/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.7.15	1– मैने प्रकरण का अवलोकन किया आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण कमांक 23–अ–21/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.3.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें आवेदक को भूमि विकय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक ग्राम बारहो बुजुर्ग तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ स्थित भूमि खसरा कमांक 492/5 रकवा 1.108 हे. खसरा कमांक 492/6 रकवा 1.275 हे. एवं खसरा कमांक 492/7 रकवा 1.149 कुल किता 3 कुल रकवा 3.535 हे. में उसका हक व हिस्सा 3/4 है अर्थात 2.649 हे. है जिसे वह विकय करना चाहता है । उपरोक्त भूमि उसकी पैत्रिक भूमि है शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है तथा उसके द्वारा ग्राम खरबम्होरी तह. मोहनगढ जिला टीकमगढ स्थित भूमि खसरा कमांक 97/3/2 रकवा 0.809 हे. एवं खसरा कमांक 97/4/1 रकवा 0.599 हे. भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.8.2013 के द्वारा कय की गई है साथ ही साथ ग्राम खरबम्होरी तह. मोहनगढ स्थित भूमि खसरा कमांक 97/4/2 रकवा 1.214 हे. भूमि भी उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.4.2013 के माध्यम से कय की गई है । साथ ही साथ ग्राम बरहो बुजुर्ग में उसके पास उपरोक्त भूमि विकय करने के बाद 1.289 हे. भूमि शेष है जिससे स्पष्ट है कि भूमि विकय करने के उपरांत भी वह भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आयेगा । 3. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर टीकमगढ ने मुख्य रूप से	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक भूमि विकय करने के उपरांत कहा कौन सी भूमि कय कर रहा है इसका उसके द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.8.2013 एवं 21.11.2013 की प्रतिया प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा ग्राम खरबम्होरी तह. मोहनगढ में भूमि क्रय की जा चुकी है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक को उसके भूमि स्वामी स्वत्व की खसरा कमांक 492/5, 492/6, 492/7 रकवा 2.649 हे. प्रश्नाधीन भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाईड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।
2. आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय छः माह के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा यह अनुमति निरस्त मानी जायेगी।

सदस्य

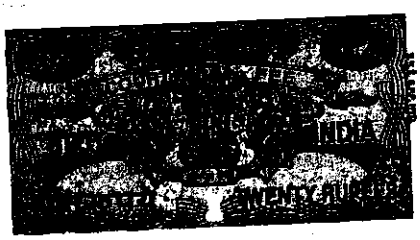

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निगरानी 1587-I-15

धनसिंह तनय किशोरा सौर
निवासी ग्राम बारहोबुजुर्ग तह. पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ
.....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन
.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/3/12 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बारहोबुजुर्ग स्थित भूमि खसरा क्र 492/5, 492/6, 492/7 रकवा क्रमशः 1.108, 1.275, 1.149 कुल किता 3 भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर टीकमगढ द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर टीकमगढ द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, कलेक्टर टीकमगढ को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की कोशिश की परंतु